सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 65 / प्रा0पत्र / 2022 दायरा दिनांक :–26.04.2022

GCMS ID–2022 / 141

1. दुर्गालाल आ0 कल्याण जाति मीणा निवासी मोतीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

दिनांक :– 27 / 03 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 82 खसरा संख्या 409, 410, 411, 414, 419, 437, 439, 440, 451 कुल किता 9 कुल रकबा 4.1359 हैक्टेयर व खाता संख्या 81 खसरा संख्या 377, 379, 380, 381, 382 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5657 वाके ग्राम अबड पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम डालचन्द पुत्र कल्याण नाबालिग दर्ज हो रहा है। प्रार्थी वर्तमान में पूर्ण रूप से बालिक हो चुका है, प्रार्थी का नाम दुर्गालाल मीणा आ0 कल्याण है, जो प्रार्थी के सभी दस्तावेज में अंकित है, परन्तु प्रार्थी को बाल्य अवस्था में घर में डालचन्द आ0 कल्याण के नाम से भी जाना जाता था इसलिए प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की उक्त जमाबंदीयों में प्रार्थी का नाम डालचन्द अंकित कर दिया है जो उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक्स आदि में प्रार्थी का नाम दुर्गालाल मीणा आ0 कल्याण अंकित है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमिया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में प्रार्थी का नाम डालचन्द आ0 कल्याण नाम से इन्तकाल खोल दिया गया है जो अवैध व निरस्तनीय योग्य है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर डालचन्द पुत्र कल्याण के स्थान पर दुर्गालाल आ0 कल्याण दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी उक्त गलत इन्द्राज को सही करवाने हेतु पटवारी साहब व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

को दुरूस्त करने से दिनांक 10.03.2022 को इन्कार कर दिया यही वाद उत्पत्ति का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दर्ज प्रार्थी का नाम डालचन्द पुत्र कल्याण के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर दुर्गालाल आ0 कल्याण दर्ज करवाये एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम दुर्गालाल आ0 कल्याण दर्ज करवावे एवं नाबालिग को दुरूस्त कर बालिग दर्ज करवावे। भूमियॉ वाके ग्राम अबड पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड, ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलवाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 82 खसरा संख्या 409, 410, 411, 414, 419, 437, 439, 440, 451 कुल किता 9 कुल रकबा 4.1359 हैक्टेयर व खाता संख्या 81 खसरा संख्या 377, 379, 380, 381, 382 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5657 वाके ग्राम अबड पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम डालचन्द आ0 कल्याण के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर दुर्गालाल मीणा आ0 कल्याण दर्ज करने व नाबालिग शब्द को विलोपित किये जाने के आदेश प्रदान की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :- राजस्व/24/122 दिनांक :-23.01.2024 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम खेरखटा की भूमि खाता संख्या 82 व खाता संख्या 81 में दर्ज अपने नाम डालचन्द को शुद्ध करवाकर दुर्गालाल करवाना चाहता है। जिसके संबंध में मजमा-ए-आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज सहखातेदार डालचन्द आ0 कल्याण व दुर्गालाल आ0 कल्याण एक ही व्यक्ति के नाम है। जिनको डालचन्द आ0 कल्याण के स्थान पर दुर्गालाल आ0 कल्याण दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम दुर्गालाल आ0 कल्याण है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन-आधार कार्ड, परिवार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम दुर्गालाल आ0 कल्याण दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम अबड पटवार मण्डल खेरखटा के खाता संख्या 82, 81 में दर्ज सहखातेदार नाबालिग डालचन्द पुत्र कल्याण संरक्षक सरपरस्त माता प्रेम के स्थान पर दुर्गालाल पुत्र कल्याण शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 27.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

27/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446